# न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला. पाली) राज०

**पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद सीरवी, आर०ए०एस० (प्रशिक्षु)**

**राजस्व वाद संख्या : 09/2018**

वादी :– बनाम प्रतिवादी :–

1. मदनचंद पुत्र केवलचंद जाति जैन निवासी आगेवा तहसील जैतारण जिला पाली (राज.)

बनाम

1. तहसीलदार तहसील जैतारण जिला पाली (राज.)

**राजस्व वाद बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 LR Act.**

तारीख रजू:. 09/01/2018

उपस्थितः–

1. श्री नितेश चौहान अधिवक्ता, वादीगण।
2. तहसीलदार जैतारण, प्रतिवादी।

**–:: निर्णय ::–** **दिनॉकः– 31/05/2018**

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत 136 LR Act. के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा देवरिया पटवार हल्का देवरिया भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली (राज.) में वाके आराजी खसरा नम्बर 97 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा , खसरा नम्बर 98 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 99 रकबा 4 बीघा , खसरा नम्बर 100 रकबा 9 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 103 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 104 रकबा 12–18 बीघा, खसरा नम्बर 105 रकबा 12 बीघा, खसरा नम्बर 106 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 107 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 108 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 109 रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 109/1 रकबा 0. 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 110 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 111 रकबा 99–5 बीघा , खसरा नम्बर 112 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 113 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 114 रकबा 1 बीघा कुल खसरा 17 कुल रकबा 201 बीघा कृषि भूमि प्रार्थी की पैतृक पुश्तैनी आयी हुई है जिसमें प्रार्थी का 1/8 वां हक हिस्सा आता है उसी अनुसार प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है और उक्त सम्पति प्रार्थी की पैतृक पुश्तैनी सम्पति है नकल जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं। उक्त कृषि भूमि जो प्रार्थी के पिता केवलचंद के देहान्त के बाद बतौर फौतेगदी म्यूटेशन के प्राप्त हुई जो नामान्तरण संख्या 427 जरिये फौतेदगी नामान्तरण भरा गया जिसमें नामान्तरण भरते वक्त त्रुटि व मानवीय भूलवश प्रार्थी का नाम मदनलाल पुत्र केवलचंद के नाम से बोलचाल की भाषा का नाम मदनलाल दर्ज व इन्द्राज कर दिया। जबकि सही व वास्तविक दस्तावेजी नाम प्रार्थी का मदनचंद पुत्र केवलचंद जाति जैन ओसवाल है तथा प्रार्थी के सभी सरकारी व अर्द्धसरकारी दस्तावेज परिचय पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि सभी दस्तावेज में प्रार्थी का नाम मदनचंद ही दर्ज है जो सही व वास्तविक नाम है। नकल जमाबंदी संवत् 2033–2036 बतौर सबुत साथ पेश है। प्रार्थी का नाम उनके पिता के देहान्त के समय जरिये फौतेदगी नामान्तरण संख्या 427 से ही उक्त मानवीय त्रुटिवश मदनलाल नाम दर्ज कर लिया गया है जो एक मानवीय एवं सहवनीय भूल है जबकि प्रार्थी का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त अपने पिता के समय से ही चला आ रहा है तथा उनके देहान्त के बाद प्रार्थी का ही उसके हक हिस्से पर कब्जा काश्त है। प्रार्थी का जो उक्त आराजी में मदनलाल नाम लिपिकीय भूल एवं सहवन से दर्ज कर दिया गया है जो गलत इन्द्राज एक रॉग

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

Scanned by CamScanner

एन्ट्री है जिसे सुधारा जाना न्यायहित में एवं प्रार्थी के हक अधिकार के पक्ष में होने से प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त मानवीय भूल व रोंग एन्ट्री की जानकारी प्रार्थी को होने पर जब प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर केसीसी ऋण करवाने बैंक आदि गया तो उक्त नाम को सुधरवाने एवं उक्त रोंग एन्ट्री को सुधरवाने का कथन किया जिस पर प्रार्थी ने कई बार पटवारी महोदय से निवदेन किया गया व तहसीलदार जैतारण को भी उक्त शुद्धिकरण करने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया राजस्व कैम्प में भी उक्त शुद्धिकरण करने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थी उक्त रोंग एन्ट्री को एवं उक्त शुद्धिकरण को एवं उक्त राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करवाने का अधिकारी होने के कारण यह प्रार्थना पत्र वास्ते रेकर्ड सुधारने एवं रेकर्ड दुरूस्त करने का विरूद्ध अप्रार्थी के पेश है। उक्त प्रार्थना पत्र संबंधित राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त करने का क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार श्रीमान् को प्राप्त होने से यह प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क पर श्रीमान् के समक्ष पेश है। इस प्रकार प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश कर माफिक प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने तथा प्रार्थी का उक्त राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम को दुरूस्त दर्ज किये जाने की ईशतदुआ की हैं।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नाटिस वास्ते जबाब प्रा. पत्र तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प देवरिया में पेश हुई। मजमा-ए-आम में प्रार्थी के सही नाम मदनचंद होने की जानकारी ली गई। उपस्थित मौज बिरान ने मदनचंद सही होना जाहिर किया। आज कैम्प में ही तहसीलदार जैतारण से वस्तुस्थिति की जांच रिपोर्ट ली गई। जांच रिपोर्ट में जाहिर किया कि ग्राम देवरिया के खसरा नम्बर 97 से 100, 103 से 109, 109/1, 110 से 114 में मदनलाल पुत्र केवलचंद सहखातेदारान के रूप में दर्ज है। उक्त इन्द्राज जमाबंदी संवत् 2033-36 में ना.स. 427 द्वारा विरासत के ना.स. से मदनलाल पुत्र केवलचंद के नाम से दर्ज हुआ था। जो आजदिनांक जारी है। किन्तु प्रार्थी को ग्राम में सामान्य बोलचाल में मदनचंद पुत्र केवलचंद के नाम से जाना जाता है। ग्राम पंचायत आगेवा के प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि सरकारी दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का सही नाम मदनचंद पुत्र केवलचंद ही है। जांच रिपोर्ट सामिल मिसल हो। वकील वादी ने बहस में जाहिर किया कि प्रार्थी का सही नाम मदनचन्द ही है जिसे जरिये दुरस्ती के दुरस्त करने का आदेश फरमावे।

पत्रावली मय दस्तावेजात एवं जांच रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। वस्तुतः ग्राम पंचायत आगेवा द्वारा जारी प्रमाण पत्र राशन कार्ड संख्या 200002383727, आधारकार्ड संख्या 504174024472 एवं जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम मदनचंद ही है। प्रार्थी का गलत रूप में दर्ज नाम मदनलाल पुत्र केवलचंद के स्थान पर मदनचंद पुत्र केवलचंद सही कर दुरस्त किया जाना उचित समझते है।

**-:: आदेश ::-**

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। राजस्व मौजा देवरिया पटवार हल्का देवरिया भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली (राज.) में वाके आराजी खसरा नम्बर 97 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 98 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 99 रकबा 4 बीघा, खसरा नम्बर 100 रकबा 9 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 103 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 104 रकबा 12-18 बीघा, खसरा नम्बर 105 रकबा 12 बीघा, खसरा नम्बर 106 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 107

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

Scanned by CamScanner

रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 108 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 109 रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 109/1 रकबा 0.2 बिस्वा, खसरा नम्बर 110 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 111 रकबा 99.5 बीघा , खसरा नम्बर 112 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 113 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 114 रकबा 1 बीघा कुल खसरा 17 कुल रकबा 201 बीघा भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत रूप में दर्ज नाम मदनलाल पुत्र केवलचंद के स्थान पर मदनचंद पुत्र केवलचंद सही कर दुरस्त दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

31/05/18

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला. पाली)

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 31/05/2018 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र देवरीया में सुनाया गया।

31/05/18

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला. पाली)

Scanned by CamScanner